Content is available at: CRDEEP Journals
Journal homepage: http://www.crdeepjournal.org/category/journals/ijssah/

International Journal of Social Sciences Arts and Humanities
(ISSN: 2321-4147) (Scientific Journal Impact Factor: 6.002)
A Peer Reviewed UGC Approved Quarterly Journal

Review Paper

भारतीय समाज मे लैंगिक समानता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

श्री गोविंद कुमार नागोर[1*] एवं डॉ. सुधा सिलावट[2]

[1.] *सहायक प्राध्यापक, कस्तूरबाग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट, इंदौर*
[2.] *ग्रामीण विकास एवं प्रसारए अतिरिक्त संचालक, उ.षि.विभाग, म.प्र., इंदौर*

ARTICLE DETAILS

अनुरूपी लेखक :
श्री गोविंद कुमार नागोर

मुख्य शब्द :
लैंगिक असमानता, बालक–बालिका में भेदभाव , मानव अधिकार

सारांश

आज के भूमण्डलीकरण के युग में मीडिया के द्वारा या अन्य माध्यम से ग्रामीण बालक –बालिकाओं में अपने स्वाभिमान के प्रति थोड़ी जागरूकता वास्तवमें आयी है।कि हमारा भी अस्तित्व इस समाज में है। प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया की बालक–बालिका में भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा की कमी के कारण ज्ञान न होने से वह समाज द्वारा बनाई गई मान्यताओं का पालन कर रही है। बालक–बालिकाओं के प्रति ज्यादातर भेदभाव पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार, उत्तराधिकार, उत्पीड़न तथा राजनीति के क्षेत्रों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इन क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण व्यवहार ज्यादा ही देखने को मिलता है। बालक–बालिकाएं उपरोक्त हर क्षेत्रों में आगे ग्रामीण समाज में सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था आज भी परम्परागत लिंग भेद की मान्यताओं सेप्रभावित है। पढ़ाई का प्रचार–प्रसार एव ं सरकारी योजनाओंने ग्रामीण शारीरिक, वातावरण में काफी हद तक परिवर्तन लाया है।

भूमिकाः–

वर्तमान समय में लैंगिक असमानता सम्बन्धी अध्ययन किसी राष्ट्र की सीमाओं के अन्तर्गतउत्पन्न होने वाली समस्याओं में सम्मिलित मैटर नही रहा, बल्कि यह एक अर्न्तराष्ट्रीय विषय हो गया है। क्योंकि आधुनिक समय में विश्व का आकार लघु होता जा रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रियाओं ने सभी राष्ट्रों की समस्याओं को एकमत कर दिया है। इसी कारण समाजयशास्त्र जैसे विषय में लिंग संबंधी असमानता एवं समस्याओं का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समाजशास्त्र इस तथ्य पर बल देता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष तथा स्त्री के मध्य विद्यमान प्राकृतिक असमानताओं को तो स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक आधार पर पुरुष एवं स्त्री में मतभेद करने का कोई औचित्य नही है। ऐसा करना मानवता तथा मानव अधिकारों की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरे जगत में स्त्रियां यद्यपि जगत जनसंख्या के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती है तथा संपूर्ण कार्य के दो–तिहाई भाग को पूरा करती है, परन्तु इनके पास जगत की सम्पति का केवल दसवां भाग ही है।

लैंगिक असमानता का अर्थः–

लिंग और जेडंर के भेद को स्पष्ट करना नारीवादी चिंतन का प्रमुख योगदान रहा है।सेक्स शब्द पुरुष और स्त्री के मध्य एक जैविक अर्थ की तरफ इशारा करता है।जबकि जेंडर का ताल्लुक सांस्कृतिक अर्थों से जुडा हुआ है। यदि इस तथ्य के साथ

*Author can be contacted at: *सहायक प्राध्यापक, कस्तूरबाग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट, इंदौर*

Received: 20-7-2024; Sent for Review on: 21-07-2024; Draft sent to Author for corrections: 03-08-2024; Accepted on: 18-08-2024; Online Available from 26-08-2024
IJSSAH-7867/*© 2024 CRDEEP Journals. All Rights Reserved.*

किसी प्रकार की असमानता जोड दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। यह बात कही जा सकती है कि लिंग केवल जैवकीय नहीं है क्योंकि प्रत्येक समाज में पुलिंग तथा स्त्रीलिंग के रुप में उनकी लैंगिक पहचान तथा सामाजिक भूमिकाएं समाजीकरण की प्रक्रिया से निश्चित की जाती है।

इसलिए सिमॉनदे बुआ;1988 ने कहा है, औरतें पैदा नही की जाती, बना दी जाती है। पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाएं एवं संस्थाऐं उन मूल्य व्यवस्थाओं एवं सांस्कृतिक नियमों द्वारा सुदृढ होती है। जो स्त्रियों की हीन भावना की धारणा को प्रचारित करती है। फेमिनिस्ट विद्वानों के अनुसार लैंगिक असमानता को स्त्री–पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री –पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रुप में परिभाषित किया जा सकता है।ऐलिसन जैग्गर; 1988 का मानना है कि सैक्स और जेडंर एक दूसरे के साथ द्वंद्वात्मक और अविभाज्य रुप से संबंधित है।

लैंगिक असमानता के प्रकारः–
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन;2001 ने लैंगिक असमानता को निम्नलिखित सात रुपों में विभाजित है–

मृत्यु संबंधी असमानता–
भूमण्डलीकरण के अनेक क्षेत्रों मुख्य रुप से उतरी अफ्रीका तथा नभ में स्त्रियों एवं पुरुषों में असमानता का एक बराबर प्रकार सामान्यतः स्त्रियों की उच्च मृत्यु दर से देखा जा सकता है जिसके परिणामस्वरुप कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्याअधिक हो जाती है।

प्रसूति संबंधी असमानता –
गर्भ में ही बच्चे के लिंग को ज्ञात करने संबंधी आधुनिक तकनिकों के द्वारा यह पता लगाकर की होने वाला बच्चा लडकी है। गार्भपात कर दियाजाता है। अनेक देशों में, विशिष्ठ रुप से नभ , चीन एवं दक्षिण कोरिया में , साथ मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक राष्ट्र में लैंगिक असमानता स्पष्टतयता देखी जा सकती है। कुछ वर्ष पहले तक अफगानिस्तान में लडकियों की पढ़ाई पर पाबंधी थी। नभ तथा अफ्रीका के अनेक राष्ट्र के साथ–साथ लैटिन अमेरिका में लडकियों की तुलना में लडकों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती थी।

विशिष्ठ अवसर संबंधी असमानता–
यूरोप तथा अमेरिका जैसे अत्यधिक विकसित एवं अमीरदेशों के साथ–साथ अधिकांश अन्य राष्ट्र में उच्च पढ़ाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण मेंलैंगिक असमानता स्पष्ट रुप से देखी जा सकती है।

व्यवसायिक संबंधी असमानता–
व्यवसायिक असमानता भी लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। जापान जैसे राष्ट्र में, स्थान जनसंख्या को हीसाथ सिंगापुर तथा ताईवान में भी यह प्रवृति बढती जा रही हैं।

मौलिक सुविधा संबंधी असमानता –
उच्च पढ़ाई प्राप्त करने एवं अन्य सभीप्रकार की मौलिक सुविधाएं प्राप्त हैं, वहॉ पर भी रोजगाार एवं व्यवसाय प्राप्त करना स्त्रियोंके लिए पुरुषों की तुलना में काफी कठिन कार्य माना जाता है।

स्वामित्व संबंधी असमानता–
अनेक समाजों में सम्पति पर मौलिक घरेलू एवं भूमि संबंधी स्वामित्व में भी स्त्रियॉ पुरुषों की तुलना में काफी पिछडी हुई है।

घरेलु असमानता –
परिवार के अन्दर ही घर की सम्पुर्ण देखरेख से लेकर बच्चों केपालन–पोषण का पूरा दायित्व महिलाओं का होता हैं। पुरुषों का कार्य घर से बाहर काम करना माना जाता है। यह एक ऐसा श्रम विभाजन है जो स्त्रियों को पुरुषों के अधिन कर देता है।

भारत में लैंगिक असमानता :–

भारत पुरुष प्रधान एवं पितृसतात्मक समाज है। भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों में लैंगिक असमानता निम्न रुपों में देखी जा सकती है।

लिंग भेदभावः सामाजिक अत्याचार–

प्रत्येक पितृसतात्मक परिवार का सामान्य लक्षण है कि वहां पुरुषों की प्रधानता होती है और स्त्री का अवमूल्यन होता है। भारतीय समाज मे लड़की का जन्म ही अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढापे का सहारा और घर की पूंजी है बल्कि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा है। के.एम. पाण्क्कर;1986 ने स्पष्ट लिखा है कि हिन्दू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक हिंदू सयुक्त परिवार में स्त्री को प्रदान की जाने वाली परस्थिती है।

हिंदू सामाजिक व्यवस्था पुत्री को परिवार का भाग नही, एक ऐसा आभूषण मानकर चलती है जो गिरवी रखा है। और जब उसका कानूनी मालिक आयेगा और उसकी मांग करेगा तो उसे दे दिया जायेगा। लड़के और लड़कियो के खेल, पढाई के विषय, संस्कार भी अलग अलग है। स्त्री के लिए पवित्रता सबसे बडा मूल्य है जिसका अर्थ से विवाह से पहले कोई उसके शरीर को यौन की दृष्टि से स्पर्ष न करे और विवाह के बाद मन, वचन और कर्म से वह पति के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्ष न होने दे। लज्जा स्त्री का गहना होता है और पति ईश्वर होता है।

आदर्ष पढाई में असमानता –

वैदिक युग में लड़की भी लड़कों की भांति आश्रमों में पढाई के लिए जाती थी। धीरे –धीरे उसे पढाई से दूर किया जाता रहा और उसके लिए एकमात्र संस्कार विवाह ही माना जाने लगा। मुसिलम काल में तो स्त्री पूर्णतः निरक्षर थी। 2001की जणगणाओं के अनुसार यह 39.42 तथा 54.16 एवं अब की नवीन जनगणना 2011 में यह 65.46 प्रतिशत है। वास्तव में यह प्रगति नगरीय क्षेत्रों में उच्च और मध्यम वर्गके बीच अधिक हुई है।

रोजगार में असमानता–

2009–10 में यह सहभागिता लगभग 31.2 हिस्सा रही है। स्त्रियो का गृहस्थ कार्य अनुत्पादक माना जाता है। घर से बाहर का कार्य ही उत्पादक माना जाता है। कृषि क्षेत्र में जंहा 80 प्रतिशत् महिलाएं काम कर रही है वहीं स्त्री को पुरुष से कम मजदूरी मिल रही है। घरेलु उद्योगों में महिलाओं के लिए काम के घण्टे अधिक है और श्रम कल्याण की कोई व्यवस्था नही है। स्त्रियों को उनके यौन शोषण का भय भी बना रहता है।

स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं मे असमानता– बचपन से ही लडकीयों को वह पोषक पदार्थ नही दिये जाते जो लड़को को दिये जाते है। प्रायः घर में वही स्त्री जो अपने पति और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनाती है, बाद में जो बच जाता है उसे खाती है और अगर बासी भोजन रखा है तो पहले उसे खाती है। मातृत्व का भार भी उस पर सबसे ज्यादा होता है। एक ओर गरीब स्त्रियों को तो उचित चिकित्सा एवं पोषण मिलना ही दुष्वार है।

तो वहीं दुसरी ओर धनी स्त्रियां अत्यधिक दवाइयों का सेवन या आलसी जीवन एक समस्या बन गयी है। परिवार नियोजन की दृष्टि से भी हमारे समाज में इसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को ही बनाया गया है।यौन शोषण एवं उत्पीडन – पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की प्रमुख समस्या उनका यौन शोषण एवं यौन उत्पीडन है जैसे – देह–व्यपार ,देवदासी, अभद्र साहित्य, विज्ञापन,चलचित्र, कैबरे नृत्य और छेड़–छाड़ जैसे अनेक कृत्य में शामिल है।

'आनलुकर' नामक पत्रिका में मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की सॉसी जाति का देह–व्यपार संबंधि अध्ययन में पाया गया कि लडकिया गॉव अनपढ व गरीब युवको के साथ शादी करके गरीबी की जिंदगी बिताने से अच्छा बम्बई और पूना के वेश्यालयों में जिंदगी गुजारना अच्छा समझती है। इसके अतिरिक्त आज नग्न एवं अर्द्धनग्न महिलाओं की तस्वीरों, काम चेस्टाओं और अभद्र किस्सों पर आधारित अभद्र साहित्य भी बाजार में धन कमाने का एक सरलसाधन बन गया है। आज अधिकांश चलचित्र स्त्री के यौन शोषण के ज्वलन्त उदाहरण है।

निष्कर्ष :–

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते है कि भारत में लैंगिक असमानता अपनीचरम सीमा पर है। भारत के संदर्भ में धार्मिक समुदायो के निजी कानून जो विवाह,तलाक, उत्तराधिकर और बच्चों के अभिभावात्मक जैसे मुद्दों पर महिलााओं के साथभेदभाव करते है। यंहा हर क्षेत्र में महिलाओं का शोषण किया जाता है चाहे वह क्षेत्र पढ़ाई का हो, स्वास्थय का हो या उसकी इच्छाओं का हो। लेकिन फिर भी सरकार नेइसके लिए कुछ सुझावों का प्रावधान किया है जैसे– 1959 में अनैतिक व्यापार दमनका कानून पारित करना, 1967 में समान मजदूरी कानून पारित करना, घरेलु हिंसा अधिनियम 2005, महिला सशक्त बनें कार्यक्रम आदि अनेको कानून पारित किये है।अब तो महिलाओं को हर क्षेत्र में 33 हिस्सा का आरक्षण भी दिया गया है। परन्तु फिर भी महिलाओं की स्थिति में चंद ही सुधार हो पाया है। इसके लिए कुछ हद तकभारतीय समाज भी जिम्मेदार है।

सन्द्रर्भ ग्रंथ सूची

1. आहूजा, राम (1995) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेषन।
2. भसीन, कमला – (2000) भला यह जेण्डर बचा है सिस्टम्स विजन नई दिल्ली।
3. पाठक, विरेन्द्र – (2001) समाज कल्याण, लिंगीय पक्षपात ग्रामीण विकास में बाधक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पत्रिका
4. शर्मा, कुमुद –(2004) नारी शिक्षाकी चुनौतियां, समाज कल्याण विभाग, जनवरी नई दिल्ली।
5. सिंह, वी.एन. (2013) नारीवाद, जयपुर रावत प्रकाषन।
6. श्रीवास्तव, अंजना (2016) – भारतीय समाज के लैंगिक भेदभाव राजी प्रकाषन आगरा उत्तर प्रदेष।
7. मिश्रा, एस.के. (2016) लिंग, विद्यालय और समाज, प्रथम संस्करण, मेरठ आर. लाल बुक डिपो।